सशक्त बिजनेस इकोसिस्टम से राजस्थान बनेगा जी.सी.सी. एक्सीलेंस हब

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिमंडलीय बैठक में अनुमोदित हो चुकी है राजस्थान ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी-2025

जयपुर (कासं)। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिमण्डल की बैठक में अनुमोदित राजस्थान ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी-2025 प्रदेश को ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर (जीसीसी) का पसंदीदा गंतव्य स्थान बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। राज्य के प्रमुख शहरों का सशक्त बिजनेस इकोसिस्टम और किफायती ऑपरेशनल लागत के साथ-साथ नीति के अंतर्गत सब्सिडी के प्रावधान इच्छुक कंपनियों को यहां जीसीसी की स्थापना के लिए आकर्षित करते हैं।

मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट-2024 में लगभग 35 लाख करोड़ रुपये के एमओयू किए गए, जिनमें से लगभग 7 लाख करोड़ रुपये के एमओयू की ग्राउंड ब्रेकिंग हो चुकी हैं। आज बहुराष्ट्रीय कंपनियां प्रदेश में निवेश के लिए इच्छुक हैं। प्रदेश की बेहतर कनेक्टिविटी ने प्रदेश में निवेश के नए द्वार खोले हैं।

एनसीआर रीजन और दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर (डीएमआईसी) के साथ कनेक्टिविटी राजस्थान में जीसीसी निवेशकों की पहुंच बड़े औद्योगिक केन्द्रों और बाजारों तक उपलब्ध करवा रही है। देश के बड़े शहरों की तुलना में यहां प्रमुख शहरों में साधनों एवं

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा

सेवाओं की किफायती ऑपरेशनल लागत भी सुगम बनाती है।

यह होगी आवेदन प्रक्रिया

राजस्थान ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी-2025 में जीसीसी के लिए आवेदन प्रक्रिया को सुगम बनाया गया है। इच्छुक आवेदकों को राजनिवेश सिंगल विंडो पोर्टल के माध्यम से आवेदन करना होगा। प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन कमेटी (पीईसी) इन आवेदनों की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट का अध्ययन कर अपनी अनुशंसा प्राथमिकता से 60 दिन की समय सीमा में प्रोजेक्ट अप्रुवल कमेटी (पीएसी) को प्रस्तुत करेगी। यह अप्रुवल कमेटी भी 60 दिन की समय सीमा में अनुशंसा के आधार पर आवेदन पर निर्णय करेगी। कार्यकारी निदेशक रीको, पीईसी और प्रशासनिक सचिव उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, पीएसी के अध्यक्ष होंगे। वहीं, जीसीसी के आवेदनों के निस्तारण के लिए उद्योग एवं वाणिज्य विभाग को नोडल विभाग बनाया गया है।

- एनसीआर, डीएमआईसी के साथ कनेक्टिविटी से जीसीसी निवेशकों को बड़े औद्योगिक केन्द्र तथा बाजारों तक पहुंच मिलेगी
- ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर के आवेदनों का निस्तारण भी त्वरित गति से होगा

100 अरब डॉलर का लक्ष्य

राजस्थान ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी-2025 वर्ष 2030 तक प्रदेश में 200 से अधिक जीसीसी स्थापित करने, 1.5 लाख रोजगार सृजित करने के साथ भारत के 100 अरब डॉलर के जीसीसी बाजार में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने के लक्ष्य पर आधारित है।

इस नीति के माध्यम से जयपुर, उदयपुर, जोधपुर जैसे शहरों को जीसीसी हब के रूप में विकसित किया जाएगा।

जीसीसी स्थापना पर रिप्स का लाभ

इस नीति में जीसीसी की स्थापना के लिए राजस्थान औद्योगिक प्रोत्साहन योजना (रिप्स-2024) के प्रावधानों का लाभ दिया जाएगा। इसमें परियोजना लागत (भूमि और भवन लागत को छोड़कर) का 30 प्रतिशत या अधिकतम 10 करोड़ रुपए तक की पूंजी निवेश सब्सिडी प्रदान की जाएगी। भूमि या लीज एरिया की लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम 1 करोड़ रुपए तक प्रतिपूर्ति लैण्ड कॉस्ट इंसेटिव के रूप में दी जाएगी। साथ ही, कर्मचारियों के वेतन पर पहले तीन वर्षों तक 30 प्रतिशत (अधिकतम 1.25 लाख प्रति कर्मचारी प्रति वर्ष) की पेरोल सब्सिडी उपलब्ध दी जाएगी। यह सब्सिडी 10 करोड़ रुपए प्रति जीसीसी प्रति वर्ष से अधिक नहीं होगी।

तीन वर्षों तक किराये में छूट मिलेगी

किराए पर संचालित इकाइयों को पहले तीन वर्षों तक किराए का 50 प्रतिशत तथा अगले दो वर्षों के लिए 25 प्रतिशत अधिकतम 5 करोड़ रुपए प्रति जीसीसी प्रति वर्ष तक रेंटल असिस्टेंस के रूप में मिलेगा। कर्मचारियों के कौशल विकास को प्रोत्साहित करने के लिए प्रशिक्षण लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम ढाई करोड़ रुपए प्रति जीसीसी प्रति वर्ष तक प्रतिपूर्ति पात्रतानुसार की जाएगी। इसके साथ ही, पर्यावरण-अनुकूल नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए ग्रीन इंसेंटिव, अनुसंधान एवं विकास के क्षेत्र में पेटेंट, कॉपीराइट आदि की लागत पर 50 प्रतिशत सहायता, स्टांप ड्यूटी एवं बिजली शुल्क पर छूट भी प्रदान की जाएगी।

उल्लेखनीय है कि वर्ष 2024 में देश में स्थित ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स में लगभग 1.9 मिलियन की वर्कफोर्स नियोजित थी, जिन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था में 64.6 बिलियन डॉलर का योगदान दिया था। वर्ष 2030 तक जीसीसी इंडस्ट्री में 110 बिलियन डॉलर का योगदान अनुमानित है।

कांग्रेस को सता रही रोहिंग्या-बांग्लादेशियों की चिंता : अशोक परनामी

'चुनाव हारने पर पहले कांग्रेस ईवीएम का राग अलापती थी, अब एसआईआर का राग अलाप रही'

जयपुर। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी ने विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) पर कांग्रेस द्वारा फैलाए जा रहे भ्रम और अनावश्यक विरोध पर तिखी प्रतिक्रिया दी। परनामी ने कहा कि कांग्रेस लगातार बुरी तरह हारती जा रही है, फिर चाहे हरियाणा हो, महाराष्ट्र हो, दिल्ली हो या फिर बिहार चुनाव। कांग्रेस का जनाधार लगातार बुरी तरह गिरता जा रहा है। कांग्रेस पहले ईवीएम पर राग अलापती थी, सर्वोच्च न्यायालय के स्पष्टीकरण के बाद कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने ईवीएम को छोडकर अब एसआईआर पर राग अलापना शुरू कर दिया। हार के बाद कांग्रेसी नेता घबरा गए है, उन्हें उनके बांग्लादेशी, रोहिंग्या घुसपेठियों की चिंता सता रही है।

उन्होंने कहा कि केवल विरोध करना, आंदोलन करना विपक्ष का काम नहीं है। विपक्ष को विकास के लिए आंदोलन करना चाहिए, लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं छोड़ा। ऐसे में मुद्दा विहीन कांग्रेस बेवजह जनता को भ्रमित करने का कामकर रही है।

भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी ने कहा कि राहुल गांधी और कांग्रेस को आंदोलन करने की बजाए बिहार चुनाव में बुरी तरह हार की समीक्षा करनी चाहिए। जनता कांग्रेस के साथ नहीं, मोदी के साथ है, यह समझना चाहिए। राजधानी जयपुर में युवा कांग्रेस का तथाकथित आंदोलन महज चंद मिनटों में समाप्त हो गया और फ्लोप शो शाबित हुआ। यह बताता है कि देश की जनता, युवा अब कांग्रेस के साथ नहीं है, ना ही कांग्रेस के बहकावे में आनी वाली है।

अशोक परनामी

परनामी ने एसआईआर को लेकर कहा कि एसआईआर का उद्देश्य केवल और केवल मुक्त, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित करना है। यह प्रक्रिया मतदाता सूची को अधिक शुद्ध बनाने के लिए चलाई जा रही है, जिसके तहत मृतकों, प्रवासियों, गलत पते वालों और दोहरी प्रविष्टियों को हटाया जाता है ताकि केवल पात्र मतदाता ही सूची में रह सकें।

पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी ने आरोप लगाया कि एसआईआर से कांग्रेस को जो भय सता रहा है, वह नाम जुड़ने का नहीं, बल्कि कांग्रेस के फर्जी वोटरों के नाम कटने का है। कांग्रेस को पहले एसआईआर को पढ़ना और समझना चाहिए। एसआईआर से होने वाले नफा नुकसान को समझना चाहिए लेकिन कांग्रेस अपने नुकसान की चिंता कर रही है। एसआईआर अयोग्य मतदाताओं को हटाने और बढ़ती अनियमितताओं पर रोक लगाने का एक सशक्त माध्यम है।

परनामी ने कहा कि अशोक गहलोत भजनलाल सरकार के दो वर्षों के विकास कार्यों को पचा नहीं पा रहे है। आज डबल इंजन सरकार राजस्थान में विकास के नए आयाम स्थापित कर रही है, और आने वाले तीन सालों में विकसित राजस्थान के लिए आयाम स्थापित किए जाएंगे।

- 'प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं छोड़ा, इसलिए बेवजह जनता को भ्रमित कर रही है कांग्रेस'

उन्होंने कहा कि, गहलोत के कार्यकाल में पेपरलीक हुए, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ, जबकि भजनलाल सरकार के 2 साल के कार्यकाल में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। गहलोत 5 साल तक ईआरसीपी पर कुंडली मारकर बैठे रहे, जबकि भजनलाल शर्मा ने इस अमृत योजना को धरातल पर उतारने का काम किया। भजनलाल सरकार ने राइजिंग राजस्थान में 35 लाख करोड़ के एमओयू साइन किए और करीबन 7 लाख करोड़ के निवेश धरातल पर उतारे, जबकि गहलोत ने निवेश के नाम पर जनता से धोखा किया। गहलोत पूरे 5 साल अपने ही लोगों से सरकार बचाने में लगे रहे, जबकि जनता की सेवा, विकास कार्यों को उन्होंने नजर अंदाज किया। गहलोत भ्रष्टाचार में आकंठ तक डूबे हुए और होटलों से सरकार चलाते रहे। अब भजनलाल शर्मा सरकार के जनकल्याण, जनहितैषी कार्यों को गहलोत पचा नहीं पा रहे है। प्रेसवार्ता में भाजपा प्रदेश महामंत्री श्रवण सिंह बगडी, भाजपा कार्यालय प्रभारी मुकेश पारीक और भाजपा युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष अंकित चेची उपस्थित रहे।

जेडीए बताए पीआरएन के जोनल ऑफिस का कितना निर्माण कार्य हो चुका

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट की खंडपीठ ने मानसरोवर स्थित पत्रकार कॉलोनी के सामुदायिक केन्द्र के भवन में पृथ्वीराज नगर का जोनल ऑफिस खोलने को चुनौती देने के मामले में जेडीए से एक सप्ताह में यह पूछा है कि जोनल ऑफिस के निर्माण की मौजूदा स्थिति क्या है, कितना निर्माण कार्य हो चुका है। जस्टिस महेन्द्र गोयल व बीएस संधू की खंडपीठ ने यह आदेश गुरुवार को एसएस शर्मा व अन्य की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।इससे पहले हुई सुनवाई में खंडपीठ ने जेडीए से पूछा था कि वह इस ऑफिस को शिफ्ट करने का प्लान दें और बताएं कि इसे कहां शिफ्ट किया जाएगा। वहीं राज्य सरकार को भी कहा था कि वह भी जोनल ऑफिस के लिए जेडीए को जगह मुहैया कराए। हाईकोर्ट के निर्देश पर राज्य सरकार ने पीआरएन के जोनल ऑफिस के लिए वेस्टवे हाईट्स में 2624 वर्गमीटर जमीन आवंटित की। वहीं इस जमीन पर निर्माण के लिए वर्क आर्डर जारी कर निर्माण कार्य शुरू किया गया। दरअसल इस पीआईएल में पत्रकार कॉलोनी के सामुदायिक भवन में जेडीए का जोनल ऑफिस खोलने को चुनौती दी है।

राजस्थान विधानसभा में विधायक अब करेंगे "डिजिटल हस्ताक्षर"

वासुदेव देवनानी के स्पीकर बनने के बाद राजस्थान विधानसभा की डिजिटल यात्रा में एक और नया अध्याय जुड़ा

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर । राजस्थान विधानसभा की डिजिटल यात्रा में एक और नया अध्याय जुड़ रहा है। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी द्वारा किए जा रहें नवाचारों के तहत राज्य विधानसभा सचिवालय में होने वाली समितियों की बैठकों में माननीय सदस्यों की उपस्थिति अब आईपैड पर डिजिटल रूप से दर्ज होगी। पूर्व में यह उपस्थिति हस्ताक्षर मैन्युल ढंग से दर्ज किए जाते थे।

डिजिटल उपस्थिति दर्ज करने के लिए विधानसभा सचिवालय द्वारा एक एप्लीकेशन तैयार कर ली गई है। विधानसभा के उप सचिवों और समस्त सहायक सचिवों को इस एप्लीकेशन के प्रयोग के लिए प्रशिक्षण दिया गया है। साथ ही विधान सभा के सभी सदस्यों को इसकी जानकारी देने के लिए एक बुलेटिन भी जारी किया जा रहा है।

इसके अलावा विधानसभा की सभी समितियों की बैठकों के लिए

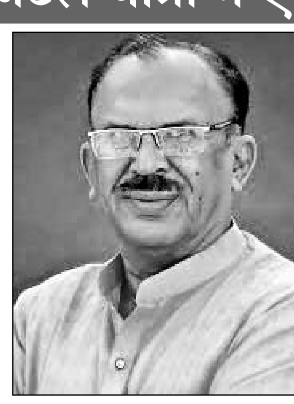

विधान सभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी

बैठक दिवस पर आई पेड उपलब्ध कराने तथा दो समितियों के मध्य पेंसिल शेयर करने के निर्देश भी जारी किए जा रहें है। समिति की बैठक के पश्चात प्रतिदिन आईपैड पुनः विधानसभा सचिवालय में जमा कराने होंगे।

उल्लेखनीय है कि राजस्थान

- डिजिटल उपस्थिति दर्ज करने के लिए विधानसभा सचिवालय ने एक एप्लीकेशन भी तैयार की है, जिसका प्रशिक्षण दिया जा रहा है

विधान सभा के डिजिटलाइजेशन के तहत सभी 200 माननीय सदस्यों की सीटों पर आई पेड लगाए गए है और विधान सभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की पहल पर वन नेशन वन एप्लीकेशन के तहत ई- विधान एप्लीकेशन नेवा का उपयोग राजस्थान विधान सभा को डिजिटल बनाये जाने के लिए किया जा रहा है। इससे विधान सभा के सदन से संबंधित विधेयक, रिपोर्टस, वीडियो आदि मीडिया अनुसंधानकर्ता और आम नागरिक को अब सरलता से ऑन लाईन उपलब्ध हो रहे है। केन्द्र सरकार द्वारा राज्यों की विधान सभाओं को डिजिटल बनाए जाने के लिए वन नेशन-वन एप्लीकेशन के तहत नेशनल ई- विधान एप्लीकेशन का उपयोग कर राजस्थान विधान सभा सदन और सचिवालय को डिजिटल किया गया है। इससे पर्यावरण की रक्षा एवं समय की बचत के लिए विधान सभा और सचिवालय की कार्यवाही पेपरलेस गई है। ई- विधान ऐप एन्ड्रायड और आई. ओ.एस दोनों तरह के मोबाइल पर संचालित हो रहे है। नेवा के तहत सदन की कार्यवाही विवरण, सदन में रखे जाने वाले पेपर्स, विधेयकों से सम्बन्धित जानकारी समितियों की रिपोर्ट, प्रश्न और उनपके जवाब, बुलेटिन, कार्यवाही विवरण, डिजिटल लाइब्रेरी, सूचनाएं और सदस्यों से सम्बन्धित जानकारी एक ही एप्लीकेशन में उपलब्ध हो रही है। इसके साथ ही राजस्थान विधान सभा का ई-बुलेटिन भी जारी किया जा रहा है। साथ ही अन्य कई नवाचार भी किये गये है।

जंगली जानवरों द्वारा फसल नुकसान को 'स्थानीयकृत जोखिम' के रूप में मान्यता मिली

इसके साथ ही धान जलभराव को भी स्थानीयकृत आपदा श्रेणी में पुन: शामिल किया गया

जयपुर (कासं)। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अन्नदाताओं को बड़ी सौगात दी है। मंत्रालय ने जंगली जानवरों द्वारा फसलों के नुकसान और धान जलभराव को कवर करने के लिए नई प्रक्रियाओं को औपचारिक रूप से मान्यता दे दी है।

संशोधित प्रावधानों के अनुसार, जंगली जानवरों द्वारा फसल नुकसान को स्थानीयकृत जोखिम श्रेणी के पाँचवें 'ऐड-ऑन कवर' के रूप में मान्यता दी गई है।

राज्य सरकारें जंगली जानवरों की सूची अधिसूचित करेंगी तथा ऐतिहासिक आंकड़ों के आधार पर अत्यधिक प्रभावित जिलों/लोंबीमा इकाइयों की पहचान करेंगी। किसान को फसल नुकसान की सूचना 72 घंटे के भीतर फसल बीमा ऐप पर जियो-टैग्ड फोटो के साथ दर्ज करनी होगी। इसे खरीफ 2026 से पूरे देश में लागू किया जायेगा।

इस प्रावधान का सबसे अधिक लाभ ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड,

- कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने देश के अननदाताओं को बड़ी सौगात दी
- इस प्रावधान का लाभ तटीय, हिमालयी और उत्तर-पूर्वी राज्यों के किसानों को मिलेगा

मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, उत्तराखंड तथा हिमालयी और उत्तर-पूर्वी राज्यों जैसे असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, सिक्किम और हिमाचल प्रदेश के किसानों को होगा, जहाँ जंगली जानवरों द्वारा फसल क्षति एक प्रमुख चुनौती है।

ज्ञात रहे कि देशभर में किसान लंबे समय से हाथी, जंगली सूअर, नीलगाय, हिरण और बंदरों जैसे जंगली जानवरों के हमलों के कारण बढ़ते फसल नुकसान का सामना कर रहे हैं। यह समस्या मुख्यतः वन क्षेत्रों, त्रों वन गलियारों और पहाड़ी इलाकों के निकट बसे किसानों में अधिक देखी जाती है। अब तक ऐसे नुकसान फसल बीमा योजना के दायरे में नहीं आते थे, जिसके कारण किसानों को भारी आर्थिक हानि उठानी पड़ती थी।

ऐसे में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने एक विशेषज्ञ समिति गठित की। समिति की रिपोर्ट को कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। इस महत्वपूर्ण निर्णय के साथ अब स्थानीय स्तर पर फसल नुकसान झेलने वाले किसानों को समयबद्ध और तकनीक-आधारित दावा निपटान का लाभ मिलेगा।

धान जलभराव को स्थानीयकृत आपदा श्रेणी में पुनः शामिल किए जाने से तटीय और बाढ़ संभावित राज्यों जैसे ओडिशा, असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक,महाराष्ट्र और उत्तराखंड के किसानों को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा, जहाँ जलभराव से धान की फसल का नुकसान हर वर्ष दोहराया जाता है।

ऑक्शन खानों को परिचालन में लाने के लिए टाइम लाइन तय : पीयूष गोयल

केन्द्रीय खान सचिव ने जयपुर में एलओआईधारकों से बातचीत की

जयपुर (कासं)। केन्द्रीय खान सचिव पीयूष गोयल ने कहा है कि विकसित भारत 2047 के सपने को साकार करने के लिए देश का माइनिंग सेक्टर नई उर्जा और गति के साथ आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि माइनिंग सेक्टर को आगे बढ़ाने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा लगातार कानून कायदों को व्यावहारिक बनाने के साथ ही टाइमलाईन तय की गई है जिससे खानों की नीलामी के बाद खानों के परिचालन में लाने में लगने वाले समय को कम किया जा सके। उन्होंने साफ किया कि इसके लिए सरकारी स्तर पर देरी होती है तो उसके लिए और एलओआई स्तर पर देरी होती है तो उसके लिए दण्डात्मक प्रावधान किये गये हैं।

केन्द्रीय खान सचिव पीयूष गोयल गुरुवार को आरआईसी में प्रमुख सचिव खान टी. रविकान्त के साथ एलओआईधारकों से रुबरु हो रहे थे। उन्होंने कहा कि नए प्रावधानों में एलओआई धारकों द्वारा जितनी जल्दी खानों को परिचालन में लाया जाएगा उतना ही अधिक लाभ खानधारकों को होगा। उन्होने कहा कि इसके लिए प्रोत्साहन के प्रावधान किये गये हैं।

गोयल ने राजस्थान में मेजर मिनरल माइंस के ऑक्शन और प्री एम्बेडेड खानों की ऑक्शन प्रक्रिया शुरु करने की सराहना करते हुए कहा कि आने वाले समय में राजस्थान माइनिंग सेक्टर से रेवेन्यू के क्षेत्र में भी अग्रणी

केन्द्रीय खान सचिव पीयूष गोयल ने गुरूवार को जयपुर में आरआईसी में प्रमुख सचिव खान टी. रविकान्त के साथ एलओआईधारकों से बातचीत की।

प्रदेश बन जाएगा। उन्होंने आवश्यक अनुमतियां प्रदान करने वाली संस्थाओं से व्यावहारिक रुख अपनाने की आवश्यकता प्रतिपादित की वहीं प्रीएम्बेडेड की तर्ज पर ही पुरानी नीलाम खानों को परिचालन में लाने के लिए राज्य सरकार स्तर से भी सहयोग और मार्गदर्शन पर जोर दिया। उन्होंने एलओआईधारकों से भी आवश्यक औपचारिकता पूरी करने में अनावश्यक देरी नहीं करने का स्पष्ट संदेश दिया। उन्होंने कहा कि एलओआईधारकों से संवाद कायम करने के लिए यह बैठक आयोजित की गई है।

प्रमुख सचिव खान टी. रविकान्त ने बताया कि राजस्थान में 112 मेजर मिनरल ब्लॉकों की नीलामी की जा चुकी है। भविष्य में नीलाम होने वाले माइनिंग ब्लॉकों के नीलामी से पहले ही चरागाह, वन कन्वर्जन आदि इसी तरह की आने वाली समस्याओं को दूर करते हुए ब्लॉक बनाने के प्रयास किए जाएंगे जिससे आवश्यक अनुमतियां प्राप्त करने मे एलओआई धारक अनावश्यक परेशानियों से बच सके।

श्री रविकान्त ने बताया कि इस वर्ष 21 ब्लॉकों की सफल नीलामी हो चुकी हैं और 8 प्री एम्बेडेड ब्लॉकों सहित 26 ब्लॉकों की नीलामी प्रक्रिया जारी है। उन्होंने बताया कि राजस्थान विपुल और विविध प्रकार के खनिज संपदा वाला प्रदेश हैं।

राज्य सरकार द्वारा माइनिंग सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयास किये जा रहे हैं। नई खनिज नीति, एम. सेण्ड नीति के साथ ही प्रक्रिया को सरल किया गया है। इसके साथ ही एलओआईधारकों को सहयोग व मार्गदर्शन के लिए अलग से सेल बनाया गया है। उन्होंने कहा कि एलओआईधारकों व संबंधित संस्थाओं के बीच बेहतर समन्वय के लिए दो कार्यशालाएं आयोजित की जा चुकी हैं वहीं निरन्तर मोनेटरिंग की जा रही है।

- भविष्य में नीलाम होने वाले माइनिंग ब्लॉकों के नीलामी से पहले ही चरागाह, वन कन्वर्जन आदि इसी तरह की आने वाली समस्याओं को दूर करते हुए ब्लॉक बनाने के प्रयास किए जाएंगे : टी. रविकांत

केन्द्रीय खान उप सचिव आशीष सक्सेना, पीसीएफ पीके उपाध्याय, अरुण प्रसाद, सदस्य सचिव सीया विजय एन, निदेशक माइंस महावीर प्रसाद मीणा, संयुक्त सचिव माइंस अरविन्द सारस्वत, उप सचिव राजस्व, आईबीएम के अभय अग्रवाल, अतिरिक्त निदेशक महेश माथुर, एडीजी आलोक प्रकाश जैन सहित विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ ही एलओआईधारकों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

आबकारी आयुक्त और वित्त सचिव आकर बताए इंटरनेशनल प्लेयर को क्यों नहीं दी नियुक्ति?

जयपुर (कासं)। राजस्थान हाइकोर्ट ने अंतर्राष्ट्रीय पैरा खिलाड़ी को आउट ऑफ टर्न अपॉइंटमेंट रूल्स, 2017 के तहत सहायक आबकारी अधिकारी के पद पर नियुक्ति नहीं देने पर नाराजगी जताई है। इसके साथ ही अदालत ने मामले में आबकारी आयुक्त और वित्त सचिव को 26 नवंबर को व्यक्तिगत रूप से पेश होने के आदेश दिए हैं। अदालत ने दोनों अफसरों से पूछा है कि पैरालंपिक सहित अन्य प्रतियोगिताओं में देश का प्रतिनिधित्व करने वाले याचिकाकर्ता को नियुक्ति की सिफारिश के बावजूद नियुक्ति क्यों नहीं दी गई। जस्टिस अशोक कुमार जैन की एकलपीठ ने यह आदेश निहाल सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।

सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा की गत सुनवाई पर राज्य सरकार की ओर से मामले में सकारात्मक निर्णय लेकर 2 सप्ताह में अदालत में जानकारी पेश करने को कहा था, लेकिन राज्य सरकार की ओर से तय अवधि में कोई जानकारी नहीं दी गई।

याचिका में अधिवक्ता तनवीर अहमद ने बताया की याचिकाकर्ता 26 वर्षीय अंतर्राष्ट्रीय पैरा एथलीट है

- राजस्थान हाइकोर्ट ने अंतर्राष्ट्रीय पैरा खिलाड़ी को आउट ऑफ टर्न अपॉइंटमेंट रूल्स, 2017 के तहत सहायक आबकारी अधिकारी के पद पर नियुक्ति नहीं देने पर नाराजगी जताई

और 41 फीसदी लोकोमोटर दिव्यांग है। याचिका में कहा गया कि उसने एशियन पैरा गेम्स, 2023 और पेरिस पैरालंपिक, 2024 में प्रतिनिधित्व करते हुए कई विश्व पैरा शूटिंग प्रतियोगिताओं में करीब 20 मैडल जीते हैं।

इनमें वर्ल्ड चैम्पियनशिप गोल्ड मैडल भी शामिल है। राज्य के खेल विभाग ने 29 सितंबर, 2023 को आउट ऑफ टर्न अपॉइंटमेंट रूल्स, 2017 के तहत उसका ए श्रेणी में चयन करते हुए उसे सहायक आबकारी अधिकारी की साल 2023-24 की रिक्तियों के विरुद्ध नियुक्ति देने की सिफारिश की। इसमें कहा गया कि यदि पद रिक्त नहीं हैं तो पद का सृजन मान लिया जाए। इस पत्र को 11 अक्टूबर, 2023 को आबकारी विभाग को भेजा गया, लेकिन विभाग ने दिव्यागों के लिए पदों की पहचान नहीं होने का हवाला देते हुए अब तक उसे नियुक्ति नहीं दी। याचिका में बताया गया की राज्य दिव्यांग आयोग में आबकारी विभाग ने स्वीकार किया है कि बीते तीन सालों से दिव्यागों के लिए कोई भी पद पहचान प्रक्रिया नहीं की गई है, यह भी दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 33 और धारा 34 के साथ ही इस संबंध में साल 2018 में बनाए नियमों के खिलाफ है।

याचिका के अदालत को बताया गया कि याचिकाकर्ता के समान मामले में पूर्व में अन्य पैरा एथलीट अवनी लखेरा,सुंदर गुर्जर और देवेंद्र झाझडिया को एसीएफ के पद पर नियुक्ति दी गई थी, जबकि उस समय भी वह पद दिव्यागों के लिए निर्धारित नहीं था। याचिकाकर्ता ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का मान बढ़ाया है, लेकिन अफसरों की उपेक्षा के कारण उसे आजीविका और सम्मान से वंचित किया जा रहा है। जिस सुनवाई करते हुए अदालत ने दोनों अधिकारियों को हाजिर होकर जवाब देने को कहा है।